

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 241 / 2025 / बाड़मेर
अपीलांत

रेस्पोडेण्ट्स

श्रीमती गोगी देवी पत्नी श्री हीराराम, जाति जाट, निवासी आदर्श विशनगर, भूणिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।	1. राज कुमार पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी असाड़ी, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर। 2. श्रीमती कुसुम कंवर पत्नी श्री हड़मत सिंह, जाति राजपूत, निवासी असाड़ी, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर। 3. शाखा प्रबंधक, एस.वी.आई. बैंक, शाखा गडरारोड़। 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार(उप पंजीयक) गडरारोड़।
--	---

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2025 बउनवान राज कुमार बनाम कुसुम कंवर वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सोहनलाल चौधरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पो. सं. 1 से 2 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पो. संख्या 3 की ओर से।
4. शेष रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:—31.10.2025


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम आसाड़ी सिन्धियान, पटवार हल्का आसाड़ी, तह. गडरारोड़ के खसरा संख्या 340 रकबा 21.3413 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तागत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध हैं। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम आसाड़ी सिन्धियान, पटवार हल्का आसाड़ी, तह. गडरारोड़ के खसरा संख्या 340 रकबा 21.3413 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर अपीलांट की विधिवत तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि संगत नहीं है। हस्तागत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट लगातार निर्विवादित काबिज-काश्त चला आ रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक तथ्यों की व्याख्या के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बायमेर

निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को समुचित अवसर प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90 दिवस की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावें।


पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2025 बउनवान राज कुमार बनाम कुसुम कंवर वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते

(नवीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बायमेर

श्रीमती गोगी देवी बनाम राज कुमार वगैरह
अपील संख्या 241 / 2025

इए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स
बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित करे।
अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति प्रेषित की जावे।


31/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्थान न्यायालय
वाय्वे

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुद न्यायालय
में सुनाया गया।

31/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाय्वे
राजस्थान न्यायालय
वाय्वे